रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271846
CG-DL-E-16042026-271846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1847] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948
No. 1847] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2026

का.आ. 1916(अ).—जबकि मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफ़िस एच एन 6-3-680/8/3, पीएनओ-03, दूसरी मंजिल, पीएमआर प्लाजा, ठाकुर मेंशन लेन, सोमाजीगुडा, हैदराबाद – 500082, तेलंगाना, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को 250 मेगावाट बिजली की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/44/2025-PG दिनांक 05.05.2025 के द्वारा मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना "आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को 250 मेगावाट बिजली की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था ।

मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द हिंदू (अंग्रेजी में) दिनांक 24.08.2025, डेली हिंदी मिलाप (हिंदी में) दिनांक 24.08.2025 और आंध्रज्योति (तेलुगु में) दिनांक 24.08.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 13.09.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एबीसी क्लीनटेक

प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांक 17.03.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को कोई अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड येदावली गांव, मद्दीकेरा तालुक, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में स्थित है) से अनंतपुर पीएस (आईएसटीएस स्विचयार्ड) तक 400 केवी डीसी टावरों पर एस/सी लाइन

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र.सं.	गांव	तहसील	जिला	राज्य
1-	मल्लेनपल्लि, दोनिमुक्कला, गुंटकल, नल्लादासरपल्लि, तिम्मापुरम, तिम्मापुरम तांडा, नक्कादोड्डी, नरसापुरम, अमीनपल्लि, गुंडाला, मोंडितुरुकला कोट्टाला, दोसालुडिकी, गुंडाला तांडा, कसापुरम, जी कोट्टाला, नेलगोंडा, पुलिगुट्टापल्लि, कोनाकोंडला, सांगाला, मोलकापेंटा, कोगनपल्ले, पतकोत्ता चेरुवु, गोंडेरला, बोम्मनापल्लि कोट्टाला, बोम्मनापल्लि तांडा	गुंटकल	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
2-	मद्दीकेरा ईस्ट	मद्दीकेरा ईस्ट	कर्नूल	आंध्र प्रदेश

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
vi. मेसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/36/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2026

S.O. 1916(E).— Whereas M/s ABC Cleantech Pvt Limited, the applicant with its registered office at H . No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad – 500082, Telangana, India**,** has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity to M/s ABC Cleantech Pvt Ltd for its 250 MW wind Power project in Kurnool, Andhra Pradesh".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/44/2025-PG dated 5th May, 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity to M/s ABC Cleantech Pvt Ltd for its 250 MW wind Power project in Kurnool, Andhra Pradesh."

M/s ABC Cleantech Pvt Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Hindu (in English) dated 24.08.2025, Daily Hindi Milap (in Hindi) dated 24.08.2025 and Andhrajyothy (in Telugu) dated 24.08.2025, and in Weekly Gazette of India dated 13.09.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s ABC Cleantech Pvt Limited has submitted an affidavit dated 17.03.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s ABC Cleantech Pvt Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Generation Pooling Station of M/s ABC Cleantech Pvt. Ltd. (Generation Switchyard located at Yedavali Village, Maddikera Taluk, Kurnool District, Andhra Pradesh) – Ananthapuram PS (ISTS S/s) 400 kV S/c line on D/c towers.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Andhra Pradesh:

Villages	Tehsil	District	State
Mallenipalli, Donimukkala, Guntakal, Nalladasarapalli, Timmapuram, Timmapuram Tanda, Nakkanadoddi, Narsapuram, Ameenpalle, Gundala, Monditurukala kottala, Dosaludiki, Gundala Thanda, Kasapuram, G Kottala, Nelagonda, Puliguttapalli, Konakondla, Sangala, Molakapenta, Koganapalle, Pathakotha Cheruvu, Gonderla, Bommanapalli Kottala, Bommanapalli Tanda.	Guntakal	Anantapur	Andhra Pradesh
Maddikera East	Maddikera East	Kurnool	Andhra Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ABC Cleantech Pvt Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s ABC Cleantech Pvt Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/36/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.04.16 15:37:36 +05'30'